निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 789 / 1997 तारीख दायरा 20.07.1991

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र स्व0 तेज्या जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जरिये कायम मुकाम–
   1 / 1. भैरूलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा
   1 / 2. सीताबाई उर्फ छीताबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी हेमराज जाति किराड निवासी ग्राम घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा
   1 / 3. मंजूबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी ओमप्रकाश जाति किराड
   1 / 4. भूलीबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल पत्नी लीलाधर जाति किराड निवासीगण ग्राम कराडिया तहसील सांगोद जिला कोटा
   1 / 5. धन्नीबाई विधवा पत्नी स्व0 प्रभूलाल जाति किराड निवासी ग्राम उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा
2. लेखराज पुत्र केसरीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम बूढनी तहसील सांगोद

बनाम

बिरधीलाल पुत्र स्व0 रामकिशन जाति किराड निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:44 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः– श्री अशोक कुमार जैन वकील वादी दिनांकः–03.11.2020

श्री जावेद अंसारी प्रतिवादी वकील

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

–::निर्णयः–

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक प्रभूलाल ने इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उमरदा तहसील सांगोद में आराजी खसरा न0 225 की 21बीघा 18बिस्वा भूमि स्थित है, उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त एवं मालिकाना हक की भूमि है, उक्त भूमि वादी ने मृतक घांसी से दिनांक 7.12.1971 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से वादी उक्त भूमि को शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि में कब्जा करने पर आमादा हो रहे हैं, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। वादी ने प्रार्थना की कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि वे वादी के कब्जे काश्त व मालिकाना हक की भूमि में मदाखलत मजामहत नहीं करें। उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर एवं सुनवाई की जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.2.07 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.2.07 को निरस्त करते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए इस न्यायालय को भिजवाया गया। अपीलीय न्यायालय में सुनवाई के दोरान मृतक वादी प्रभूलाल के कायम मुकामान द्वारा उक्त भूमि को लेखराज पुत्र केसरीलाल गूजर निवासी ग्राम बूढनी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दिया गया जिसे अपील के दौरान पक्षकार के रूप मे जोडा गया। उक्त प्रकरण अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने पर प्रकरण में पक्षकारान की तलबी की गई। इसी बीच वादी लेखराज पुत्र केसरीलाल द्वारा दिनांक 8.1.2019 को बिरधीलाल के अतिरिक्त अन्य प्रतिवादीगण के नाम डिलीट किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1,2,4,6 के नाम डिलीट किये गये। उक्त दिनांक को ही वादी लेखराज व प्रतिवादी बिरधीलाल ने राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे रेकार्ड पर लिया जाकर पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण मे विवादित कृषि भूमि ग्राम उमरदा स्थित साबिक खसरा न0 225 की 21बीघा [illegible] खसरा न0 621रकबा 3.54हेक्टर है, उक्त कृषि भूमि के बाबत पक्ष[illegible] हो चुका है तथा प्रतिवादी बिरधीलाल यह मानता है कि उक्त भूमि राजस्व [illegible]राज के नाम से ही दर्ज है तथा उसका ही उक्त भूमि में उपयोग उपभोग रहा है। उक्त राजीना[illegible]को तस्दीक किया गया। पक्षकारान के मध्य उक्त राजीनामे को देखते हुए यह न्यायालय मुताबिक राजीनामा ग्राम उमरदा स्थित खसरा न0 621

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी
[illegible] जिला कोटा

की 3.54हेक्टर कृषि भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा चाहने बाबत वादी के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। उक्त प्रकरण मे उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में केस सिक्योरिटी का आदेश चला आ रहा

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि –ग्राम उमरदा स्थित खसरा न0 621 की 3.54हेक्टर कृषि भूमि में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी को पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत नहीं करें। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में केस सिक्योरिटी का आदेश खारिज किया जाता है तथा मुताबिक राजीनामा केस सिक्योरिटी की जो भी राशि तहसीलदार सांगोद के पास जमा है, उसे प्रतिवादी बिरधीलाल पुत्र रामकिशन जाति किराड निवासी ग्राम डोबडा को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी

सॉगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनॉक 03.11.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:44 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)

उपखण्ड अधिकारी

सॉगोद

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा